

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 06 सन 2020

अनवान :-

1. करणीसिंह पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 6/8/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 663/661 की कुल 6.5148हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम करणाराम पुत्र रतीराम दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण करणाराम वल्द रतीराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम करणीसिंह पुत्र रतीराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , बैंक पास बुक , पेन कार्ड , पानी बिल सभी में वादी का नाम करणी सिंह पुत्र रतीराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 663/661 की कुल 6.5148हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम करणाराम पुत्र रतीराम के स्थान पर करणीसिंह पुत्र रतीराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 663/661 की कुल 6.5148हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम करणाराम पुत्र रतीराम दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण करणाराम वल्द रतीराम दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम करणीसिंह पुत्र रतीराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड, पानी बिल सभी में वादी का नाम करणी सिंह पुत्र रतीराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है


पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 663/661 की कुल 6.5148हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम करणाराम पुत्र रतीराम दर्ज है वादी का कथन है कि उसका सही नाम करणीसिंह पुत्र रतीराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड, पानी बिल सभी में वादी का नाम भागीरथ वल्द अमीलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये वादी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है कि रोही मौजा धानसिया के खाता संख्या 663/661 की कुल 6.5148हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से करणाराम पुत्र रतीराम के स्थान पर करणीसिंह उर्फ करणाराम पुत्र रतीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपरखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

ब्यापार्य उपग्रह अधिकांशी एवं पट्टल सहायक कलक्टर

नोहर

क्रमांक : राजस्व/नोहर/2020/136LRM/6

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :-

प्रकरण संख्या 06/2020 अनवानी करणीसिंह बंनम सरकार
में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रश्न :-

अनवानी :-

1. करणीसिंह पुत्र रतीराम जालि जाट साकिन धानसिया
तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

बंनम

प्रश्न

1. राजस्थान राज्य जसिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला
हनुमानगढ।

अध्यापक
प्रधान पत्र बाबत टुकरी अनवानी धारा 136
में-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्वित लेख है कि प्रकरण संख्या 06/2020 अनवानी करणीसिंह
बंनम सरकार में दिनांक 6/8/2020 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा धानसिया के खाला संख्या 663/661 की कुल 6.
5148 हेक्टेर्स में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम से करणाराम पुत्र रतीराम के
स्थान पर करणीसिंह उर्फ करणाराम पुत्र रतीराम संशोधन किये जाने आदेश पारित
किये गये है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपग्रह अधिकांशी (राजस्व)
(नोहर) (हनुमानगढ)